



संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/22-23/008

दिनांक: 04.01.2023

सेवा में,
श्री विनोद कुमार पाण्डेय
पुत्र श्री छेदालाल पाण्डेय
ग्राम- नगला पाठक,
पोस्ट-फफूद, औरैया
उत्तर प्रदेश -206247
मो०नं० 9520 657 505

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 06.12.2022 के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 06.12.2022 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को पावरग्रिड के औरैया उपकेन्द्र के माध्यम से दिनांक 08.12.2022 को प्राप्त हुआ है। इस सन्दर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि 765 के०वी० आगरा –फतेहपुर पारेषण लाइन -2 के रिपेटमेंट कार्य हेतु लोकेशन संख्या 456 के एवज में आपको कार्यालय द्वारा नोटिस दी गई थी, जिसका मुआवजा राशि यू०टी०आर० संख्या CMS3036609968 के माध्यम से दिनांक 30.11.2022 को भुगतान कर दिया गया है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री आर० नागपाल
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

04/01/2023

[उदयवीर]

महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ